

अधिवक्ता प्रार्थी साबिक आदेश 513/19 की
पालना करे। पत्रव्यवस्था 5/6/19 को पेश हो



5-5-19

अधिवक्ता प्रार्थी साबिक आदेश 513/19 की
पालना करे। पत्रव्यवस्था 5/6/19 को पेश हो



5/6/19


अधिवक्ता प्रार्थी साबिक आदेश 513/19 की
पालना आवश्यक रूप से करे। पत्रव्यवस्था
25/6/19 को पेश हो



17-6-19

पत्रव्यवस्था पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित हैं।
बादनी का बत विडो किये जाने से स्वारिठ
हो चुका है। ऐसे में अब इस प्रापत्र पर
किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

अतः प्रापत्र प्रार्थी के अन्तर्गत धारा
212 RTI के स्वारिठ किया जाता है।
पत्रव्यवस्था निर्वाच में सुमाव होकर सम्बन्ध से
कम हो सदा बाद तत्मील तत्कील दालिद
दक्तर हो।


उपबन्ध अधिकारी
आनपुर जिला इलाहाबाद
(राजस्थान)

अधिवक्ता
पत्रव्यवस्था